HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL APPEAL No. - 2767 of 1986

Ram Sajiwan And Others

.....Appellant(s)

Versus

State of U.P.

.....Respondent(s)

Counsel for Appellant(s)	:	Akhilesh Singh, B.R. Singh, Shivam Yadav
Counsel for Respondent(s)	:	A.G.A.

Court No. - 84

HON'BLE CHAWAN PRAKASH, J.

1. अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।

2. कार्यालय आख्या दिनांकित 28.08.2025 तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर की आख्या के अनुसार अपीलार्थी संख्या 3 जयन्ती प्रसाद पुत्र श्री बलदेव सिंह की मृत्यु लगभग 25 वर्ष पूर्व बीमारी से हो गयी थी। इस आख्या के साथ उप-निरीक्षक कुंवरपाल सिंह थाना जसराना, आनन्द शर्मा पुत्र श्याम बिहारी, सत्यप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल, सुनीता चौहान पत्नी सोपाली सिंह ,ग्राम प्रधान का बयान अंकित है, के अनुसार अपीलार्थी संख्या 3 जयन्ती प्रसाद पुत्र बलदेव सिंह की मृत्यु हो गयी है।

3. चूंकि अपीलार्थी संख्या 3 जयन्ती प्रसाद पुत्र बलदेव सिंह की मृत्यु हो चुकी है, अतः अपीलार्थी संख्या 3 के विरूद्ध कार्यवाही उपशमित की जाती है।

4. कार्यालय आख्या दिनांकित 28.07.2025 के अनुसार अपीलार्थी सं. 1 रामसजीवन इस समय फिरोजाबाद जिला कारागार में मु०अ०सं० 117/1993 में लम्बित है, अतः कारागार अधीक्षक जिला फिरोजाबाद को आदेशित किया जाता है कि वह यह आख्या प्रस्तुत करें कि रामसजीवन पुत्र श्री जयन्ती प्रसाद निवासी बहेत थाना जसराना, जिला मैनपुरी जिला कारागार में किस आपराधिक मामले में, किस अवधि से निरुद्ध है।

5. अपीलार्थी संख्या 2 श्याम बिहारी की मृत्यु हो चुकी है, अतः इस सम्बन्ध में एक मृत्यु आख्या आहूत की जाए। अतः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी संख्या 2 श्याम बिहारी पुत्र श्री जयन्ती प्रसाद की मृत्यु के सम्बन्ध में अपनी आख्या तीन सप्ताह में दाखिल करें।

6. इस अपील को दिनांक 17.02.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

January 13, 2026
Rahul

(Chawan Prakash,J.)

Digitally signed by :-
RAHUL KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad